

प्राचीन भारत में पशुपालन (वैदिक काल से गुप्त काल तक)

डॉ० मनीष कुमार

एम.ए. (इतिहास), नालन्दा खुला विश्वविद्यालय, पटना
पी-एचडी, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर (बिहार)

ARTICLE DETAILS

Article History

Published Online: 17 August 2020

Keywords

आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक

*Corresponding Author

Email: manishshk123[at]gmail.com

ABSTRACT

प्रस्तुत आलेख में प्राचीन भारत में पशुपालन की स्थिति और उसके विकास का वर्णन किया गया है। मानव सभ्यता के विकास में प्रारंभ से ही पशुओं का योगदान अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहा है। भूमि के अतिरिक्त मनुष्य के विभिन्न आर्थिक कार्यों के आधार पशु भी थे। पशुओं ने प्राचीन भारत के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक जीवन को कई प्रकार से प्रभावित किया। सैन्धव काल में भी पशुओं ने वहाँ के आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था को प्रभावित किया। वैदिक युग में पशु ही आर्थिक मानदण्ड के आधार थे। इस युग में पशुओं ने सामाजिक और धार्मिक जीवन को प्रभावित ही नहीं किया बल्कि एक नया आयाम दिया। मौर्य और गुप्त काल में सैनिक दृष्टि से पशु बड़े उपयोगी सिद्ध हुये दोनों युगों की कला में पशुओं को महत्वपूर्ण स्थान मिला। पशु आधारित कृषि व्यवस्था ने भारत में पशुपालन की महत्ता को और अधिक बढ़ाया।

परिचय :-

भारत में पशुपालन की ओर लोगों की प्रवृत्ति के पीछे दो कारण थे। एक तो कुछ पशुओं को देवता का वाहन और देवाण का भागीदार माना जाता था। जैसे- बैल को शंकर का वाहन, सिंह को दुर्गा का वाहन, आदि और दूसरी ओर गौ को माता माना जाना। यह परिस्थिति थी कि किस क्षेत्र में किस पशु किस रूप में स्वीकार किया गया, पर विषय में सर्वत्र पशुपालन का क्रम नव-पाषाण काल से पहले हुआ। भारत में ही सर्वप्रथम इसकी महत्ता दिखती है। यहाँ पशुपालन का क्रम नव-पाषाण काल से पहले माना सकता है।¹ इसमें दुधारु पशु हर काल में तथा हर स्थान पर रहे हैं, जिनका पालन मनुष्य करता है। पशु आधारित कृषि व्यवस्था ने भारत में इसकी महत्ता और अधिक बढ़ाया। इसी से गोचर भूमि की व्यवस्था उसे कृषि क्षेत्र में से ही निकाल कर अलग की जाती थी।

वैदिक काल :-

प्राचीन काल (ऋग्वैदिक काल) में पालतू पशुओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई, क्योंकि इनके साथ आर्थिक उपयोगिता के अतिरिक्त धार्मिक भावना और विष्वास जुट गए। अब बहुत से पशुओं की पूजा की जाने लगी, कुछ देवताओं के वाहन के रूप में स्वीकार किए गए और कुछ को लाभदायक तथा शुभ माना गया। इस प्रकार आर्थिक आवश्यकता के साथ इन प्रवृत्तियों ने इनकी महत्ता बढ़ा दी। आर्थिक क्रियाएँ भी अधिक विकसित हुई। अब कृषि जीवन का मूल आधार बना। लोग खानाबदोष की जिंदगी से कृषक अवस्था में पहुँचें। लोग गाँव में पशुओं के साथ रहने लगे। यह काल प्रमुख रूप से कृषि और पशुपालन की मिश्रित अर्थव्यवस्था का था। यही

कारण था कि इस समय पशुओं के प्रजातीय प्रजनन, पालन एवं सुरक्षा की गई क्योंकि इनमें उत्पादक क्षमता और अकाल रोकने की क्षमता थी। ऋग्वेद में प्रमुख रूप से गाय, बैल, घोड़ा, खच्चर, गदहा, भेड़, बकरी आदि पशुओं के पालने की चर्चा है। अकाल के लिए आवश्यक जानवर कुत्ता को भी पाला जाता था।² इसके अनेक नस्लों का ज्ञान था। उनकी पहचान के लिए एक विषय प्रकार का चिह्न इनकी कानों पर लगाया जाता था। मैत्रायणी संहिता में स्थूलकर्णी तथा विष्याकर्णी का उल्लेख है, जो पशुधन को बढ़ानेवाली थी। इसका प्रयोग प्रजनन के समय नर पशु ढूँढने में विषय रूप से किया जाता था ताकि अच्छी नस्ल की प्रजाति की संख्या बढ़े। सुन्दर बालों वाली बकरियों की नस्ल अच्छी मानी जाती थी। पशुओं की सुरक्षा के लिए इन्हें बाड़े में रखते, देवताओं की प्रार्थना करते तथा तंत्र-मंत्र का प्रयोग करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि पशुओं की चोरी अधिक होती होगी जिससे सुरक्षा के ये सारे उपाय किए गए होंगे।³ इसका कारण था कि कृषि कार्य में खेत जोतने के लिए बैल तथा भेड़ों की आवश्यकता थी। उत्पाद का सामान ढोने के लिए बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे, जिन्हें बैलों द्वारा खींचा जाता था। भूमि की सिंचाई के लिए इन्हीं की सहायता से विभिन्न जल स्रोतों से पानी भी निकाला जाता था। इनको दिन में तीन बार चरने के लिए छोड़ा जाता था। प्रातः, दोपहर तथा संध्याकाल। प्रातः बछड़ों को पशुओं के साथ नहीं जाने दिया जाता था, पर शेष दो कालों में वे साथ चरने जाते थे। इनके भोजन के लिए हरी घास तथा शुद्ध जल विशेष महत्वपूर्ण था क्योंकि गायों का दूध अधिक वर्धक होता था। अन्य पशुओं के पशुहार में 'जौ' की अधिकता थी। इनके रहने के लिए दो प्रकार के स्थानों का उल्लेख है- गोष्ठ और

गोषाला। गोष्ठ बाँस से घिरा एक खुला स्थान होता था जबकि गोषाला पर छाजन होता था। वर्षा तथा अधिक धूप में ये गोषाला में रखे जाते जबकि खुले और सुखे मौसम में गोष्ठ में।

मौर्यकाल तथा गुप्तकाल :-

इस काल में पशुपालन में कुछ नई चीजें जुड़ी। अनेक मंत्रों द्वारा पशुओं की व्याधियों का निदान प्रारंभ हुआ। पाँच वर्ष तक के पशुओं के रोगों के निवारण के लिए उनके शरीर पर सहदेवी नामक एक वनस्पति का लेप किया जात था।⁴ उनको स्वस्थ रखने की भी विधियों का प्रयोग किया जाता था। दो नवीन बातें और प्रारंभ हुई— एक पशुओं को तौबे की चाकू से दागा जाता था। तथा गले में तौबे और कांसे की घंटियाँ बाँधते थे। गायों और बैलों के गले में इस समय बाँधना प्रारंभ हुआ। प्रजनन कराने के लिए साढ़ों को भी गायों के साथ पाला जाता था। गायों से बछड़ा उत्पन्न कराने के लिए उन्हें नमक मिश्रित खाना देते थे। ऐसी भी प्रजातियाँ इस समय की जो दो से तीन वर्षों में कृषि कार्य के लिए तैयार हो जाती थी। कौषिक सूत्र के अनुसार गोष्ठ से बीमारी तथा दुष्ट प्रवृत्तियों के निवारण के लिए विविध उपाय किए जाते थे।⁵

इस काल के साहित्य से एक लम्बी तालिका पालतू पशुओं की प्राप्त होती है, क्योंकि कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ और प्रत्येक वर्ग तथा वर्ण के लोग इसमें लगे थे। इसी के परिणामस्वरूप पशुओं की उपयोगिता और महत्ता बढ़ी। इसी से ये अब अधिक पूजनीय माने जाने लगे और विभिन्न देवी देवताओं के साथ इन्हें जोड़ा गया था। ये तो घुमुन्तु जमात ही पशु पूजा करते थे पर सामान्य जनता में गाय, हाथी कुत्ता,कौआ, आदि का धार्मिक अवसरों पर विशेष मान्यता थी। पशुओं की हड्डी के चूरे की खाद में खेतों में जाते थे। इनकी चर्बी का प्रयोग भी विभिन्न कार्यों में किया जाता था। इसमें सूअर विशेष उपयोगी था। सिंचाई कार्य में ये पानी खींचने के काम आते थे। सामान ढोने का कार्य भी इन पशुओं से लिया जाता था। प्रमुख पालतू पशु थे— गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, गदहा, उँट, बकरी, साढ़, भेड़ सूअर आदि। इनमें से कुछ पशुओं जैसे गाय, बैल, भेड़, भैंस, बकरी आदि को घरों में अपने साथ गृहस्थ रखते और इन्हें अपनी सम्पत्ति मानते थे। इनमें साढ़ों को अवध्य माना जाता था। गायों के लगभग प्रत्येक झुण्ड के साथ एक छुट्टा साढ़ रखा जाता था जो उनके साथ रहता, प्रजनन क्रिया करता था। क्षेत्रीय आधार पर पशुओं में विभिन्नता थी। इसका कारण यह था कि विभिन्न प्रजाति की प्रधानता विभिन्न क्षेत्र के पशुओं में होती थी। इससे वहाँ प्रजनित पशु अपनी अलग शारीरिक तथा गुणात्मक विशेषताओं से युक्त थे। इस विभिन्नता पर प्रजनन विधि का भी प्रभाव पड़ता था। इन साढ़ों को विशेष प्रकार का आहार दिया जाता था कि पुष्ट रहें और अच्छी नस्ल की संतान उत्पन्न करें। मुख्यतः तीन प्रकार की गायें थी— सामान्य, वाहिक और

सल्वक। इसी प्रकार घोड़े भी दो प्रकार के थे— स्तबल में रख कर खिलाये गये तथा सामान्य रीति से खिलाये गये। पिकारी कुत्तों की प्रजाति अलग 'कौलेय' का उल्लेख है। ये प्रायः महलों में रखे जाते थे।⁶

राज्य भी पशु रखता था। राज्य की ओर से इसकी गणना की जाती थी और इनके मरने—जीने का लेखा—जोखा रखा जाता था। एक अलग अध्यक्ष के अधीन पशु संबंधी विभाग था यह इनके विक्रय, स्वास्थ्य, वर्गीकरण, लेखांकन तथा नियम निर्माण का कार्य करता था। सामान्य पशु चारागाहों में चरते थे जो गाँवों तथा जंगलों में सरकार द्वारा निर्धारित थे। चारागाह ऐसे स्थानों पर होते थे जहाँ सुरक्षा के साथ जल आदि की सुविधा हो। वहाँ घास समाप्त होने पर उसके लिए दूसरा स्थान दिया जाता था इसका निर्धारण चरवाहों की सुविधानुसार किया जाता था। ऐसे चरवाहे रखे जाते थे जो पशु की आवश्यकता की पहचान उनके हाव—भाव से कर सकें, समय से दूध निकाल सकें तथा साढ़ों आदि की भी सुरक्षा कर सकें। एक प्रजाति के पशु यहाँ एक साथ रखे जाते थे राजकीय पशुओं के लिए पशुषालायें थी, तभी अपोक ने कहा है कि “मैं जहाँ कहीं भी रहूँ पशुषाला में या अन्यत्र.....।”⁷ घरों में रहने वाले पशुओं को पुआल, घास, सब्जियों के छिलके, खली, तेल, सेंधा नमक, गुड आवश्यकतानुसार मट्ठा तथा पानी दिया जाता था। घोड़े को चना देते थे। सूअर तथा कुत्ते जिनसे मेहनत का कार्य लिया जाता था उन्हें दूध भी देते थे। इससे लगता है कि पशुओं को आवश्यकता के अनुरूप भोजन दिया जाता था।

पशुधन सुरक्षा के लिए अनेक विधियाँ अपनाई जाती थी। कृषि पशु को किसी प्रकार का शारीरिक हानि पहुँचाने पर दण्ड का विधान था।⁸ धार्मिक भावना को आधार बना कर गो—हत्या को भावनात्मक रूप से रोकने का प्रयास किया गया था, क्योंकि गाय दूध की स्रोत होने के साथ—साथ कृषि के बछड़े और गोबर देती है। पशुओं के प्रति निर्दयता नहीं रखने के लिए कुछ सिद्धांत बनाये गये थे जैसे— एक पशु द्वारा ढोये जाने वाले भार की मात्रा निर्धारित थी। भेंड के ऊन काटने का समय तय था। अपोक ने अपने पाँचवें स्तम्भ लेख में एक लम्बी तालिका दी है जिसमें कुछ पशु—पक्षियों को अवध्य बताया है, कुछ के लिए निश्चित तिथियाँ को मारना माना गया है।⁹ उसने अपने प्रथम पिलालेख में अपने भोजनालय में शोरवे के लिए पशुओं की हत्या पर क्रमशः रोक लगाने के लिए निर्देश दिया है। उसने पिकार खेलने की भी मनाही की है। इनकी सुविधा के लिए प्याऊ बनवाने का आदेश दिया है। तथा जगह—जगह पशु चिकित्सालयों की स्थापना तथा औषधियों की भी व्यवस्था करायी थी।

प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदी घाटियों में हुआ। इसके पीछे अन्य चाहे जो भी कारण रहें हो पर यह संभावना स्वाभाविक है कि जल से मछलियों की प्राप्ति की यहाँ सुविधा रही होगी। मौर्यकाल में मछलियों का प्रयोग अधिक होने लगा

था। इस पर राज्य का नियंत्रण था। अषोक के अभिलेखों में मछलियों को कुछ निश्चित तिथियों में पकड़ने की मनाही की गई है। इन पर बिक्री-कर भी लिए जाने का संकेत प्राप्त होता है। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि मत्स्य पालन सिंचाई के तालाबों में भी किया जाता था।¹⁰ इसी ग्रंथ में अनेक जाति की मछलियों का उल्लेख है। जैसे- रेहू, बामी, ईल, आदि। इनके पकड़ने के लिए जाल, टाप, बंषी, टोकरी, भाला आदि का प्रयोग किया जाता था। बौद्ध साहित्य में बहते पानी में मछली पकड़ने के एक विषिष्ट विधि का उल्लेख है कि पानी के भीतर गद्दा खोतकर उसी में टोकरी रख देते थे। अर्थशास्त्र में मछलियों के भोजन के लिए गुथा आंटा, खली तथा अनाज देने का उल्लेख है। उन्हें यह भी पता था कि कब उनके पेट में अंडा आता है। इनका व्यापार भी किया जाता था। तभी अर्थशास्त्र में सुखा कर मछली को दूसरे देशों में भेजे जाने की बात कही गई है।

निष्कर्ष :-

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में पशुओं का पालन मनुष्य अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए करता था। पशुओं के पालन और उसने होने वाले उत्पादन द्वारा अनेक उद्योगों से पैसा कमाना जो दूसरे स्त्रोतों से संभव नहीं थी, जैसे गाय के दूध का उद्योग, पक्षियों के मांस और अंडे का उद्योग, मधुमक्खियों के छत्ते से निकले शहद का उद्योग, मछलियों के मांस का उद्योग, षहतूत के पत्ते पर रहनेवाले कीड़े के लार से निकले रेशम का उद्योग आदि। इस लिए इन विषिष्ट जानवरों का पालन बड़ी संख्या में किया जाता था। इस प्रकार इन जानवरों का पालन खेती का रूप ले लिया था। इससे अलग-अलग उद्योग का क्रमशः विकास होता गया और आय भी बढ़ती गयी।

संदर्भ सूची :-

1. Agriculture in Ancient India, A report S.P. Roy Chaudhary, Mira Roy
2. ऋग्वेद, मैत्रायणी संहिता
3. ऋग्वेद
4. प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास, डा. सहाय
5. कौषिक सूत्र
6. India as Known to Panini, V. S. Agrawal
7. कुक्कर जातक
8. अषोक स्तंभ लेख-05
9. अर्थशास्त्र
10. प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास, डा. सहाय